लोक–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री नाथूलाल सेवकर्मानी प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर, रेफरेन्स संख्या 20221000071719, खसरा नम्बर 2892 एवं 2894 निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.0742 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,17,562.50 TPA (ROM) (Saleable Mineral 58781.25 MT and Waste 58781.25 MT), कुल कलस्टर क्षेत्रफल– 15.4249 हेक्टेयर, कुल कलस्टर प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 15,45,296.5 TPA (ROM) हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 27 फरवरी, 2025 को प्रातः 11:30 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक का कार्यवाही विवरण :–

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानो की अनुपालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/67 दिनांक 03.01.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम में दिनांक 27 फरवरी, 2025 को प्रातः 11:30 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक (राजस्थान) में मैसर्स श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री नाथूलाल सेवकर्मानी प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर, रेफरेन्स संख्या 20221000071719, खसरा नम्बर 2892 एवं 2894 निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.0742 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,17,562.50 TPA (ROM) (Saleable Mineral 58781.25 MT and Waste 58781.25 MT), कुल कलस्टर क्षेत्रफल– 15.4249 हेक्टेयर, कुल कलस्टर प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 15,45,296.5 TPA (ROM) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक (राजस्थान) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी

लोक–सुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त लोकसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 21.01.2025 और स्थानीय समाचार पत्र "दैनिक अपना अखबार मॉर्निंग न्यूज" में दिनांक 21.01.2025 को आम सूचना निर्धारित जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी, राजस्थान	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक (राज०)

संलग्न है (संलग्नक–स)। लोकसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी. एवं फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक की अनुमति से लोकसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को लोकसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की कि वे परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही अपना सुझाव /शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/ मौखिक रुप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियों रिर्कोडिंग मय फोटोग्राफस के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरूप राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री नाथूलाल सेवकर्मानी के सलाहकार मैसर्स वाईब्रेन्ट टेक्नोलेब प्राईवेट लिमिटेड की ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से दी गई। खनन परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना की स्थिति, परियोजना के कलस्टर में आने वाली अन्य खनन परियोजनाओ की जानकारी, कुल उत्पादन क्षमता, खनन भण्डार, लोकेशन मेप, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, पर्यावरण सरंक्षण के उपाय, खनन की अन्तिम सीमा, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, खनन की पद्वति, पर्यावरण प्रबंधन योजना, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक दायित्वो के तहत किये जाने वाले कार्यो का विवरण (सी.एस.आर.) व श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक (राज०)

1. श्री शंकर लाल रेगर पुत्र श्री छितर लाल रेगर, ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक ने इस खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं जताई एवं सुझाव के रुप में वृक्षारोपण हेतु आग्रह किया है।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक ने परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार तथा परियोजना आवेदक को गांव में पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं सड़क निर्माण करने, वृक्षारोपण करने, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने सी.एस.आर. गतिविधियों के अन्तर्गत आंगनवाड़ी व विद्यालयों के संधारण का कार्य करवाने हेतु सुझाव प्रदान किये ताकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक ने उपस्थित सभी ग्रामवासियों से एक बार पुनः कहा कि यदि उनके किसी प्रकार के अपने विचार/सुझाव/आपत्ति है तो वे लिखित व मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्तः में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा उपस्थित सभी जन–समुदाय को धन्यवाद करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला टोंक की अनुमति से लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी

(राम रतन सौकरिया)
अति0 जिला कलक्टर, टोंक
जिला टोंक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज0)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांकः– /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/67 दिनांक 03/01/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील मालपुरा एवं देवली में स्थित ग्रामों में ग्रेनाईट खान चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता हैः–

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 1819 दिनांक 24.12.2024 मैसर्स सुपर इण्डिया प्रोडक्टस, प्रो0श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल	गनवर	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.00 बजे
2	पत्रांक 1822 दिनांक 24.12.2024 श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल एवं गोरी शंकर तोषनीवाल	डूंगरी कला	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.15 बजे
3	पत्रांक 1188 दिनांक 01.10.2024 मै0 स्टार स्टोन मार्बल एण्ड ग्रेनाईट	रूपाहेली	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.30 बजे
4	पत्रांक 1192 दिनांक 03.07.2024 ओमप्रकाश तोषनीवाल	अजीतपुरा	पंचायत समिति सभागार, मालपुरा में दिनांक 21.02.2025 प्रातः 11.45 बजे
5	पत्रांक 392 दिनांक 03.07.2024 नेचुरल ग्रेनाईट्स	बीजवाड़	पंचायत समिति सभागार, देवली में दिनांक 27.02.2025 प्रातः 11.00 बजे
6	पत्रांक 1379 दिनांक 24.10.2024 श्री सुनिल कुमार	बीजवाड़	पंचायत समिति सभागार, देवली में दिनांक 27.02.2025 प्रातः 11.15 बजे
7	पत्रांक 1376 दिनांक 24.10.2024 श्री सुनिल कुमार	बीजवाड़	पंचायत समिति सभागार, देवली में दिनांक 27.02.2025 प्रातः 11.30 बजे

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Signature valid

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.01.03 16:06:01 IST
Reason: Approved

श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथूलाल सेवकर्मानी, ग्रेनाईट स्टोन (रेफरेन्स संख्या 20221000071719, क्षेत्रफल– 1.0742 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता 1545296.50 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित ग्रेनाईट स्टोन उत्पादन क्षमता 117562.50 TPA निकट ग्राम – बिजवाड़, तहसील – देवली, जिला – टोंक पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 27.02.2025 को प्रातः 11:30 AM बजे, पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील–देवली, जिला–टोंक में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Ratan Sonkaria	ADM Tonk	[signature]
2	Shiv Kumar	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Bundi	[signature]
3	जितेन्द्र सिंह नरुका AAO	कलक्ट्रेट टोंक	[signature]
4	SUNIL KUMAR	Harijan Colony Kekri, Ajmer road	Sunil
5.	Umesh Kr. Sharma	EIA Coordinator Vibrant Technolab Pvt. Ltd.	[signature]
6	रामकरण	बीजवाड़	रामकरण
7	बद्रीलाल	बीजवाड़	बद्रीलाल
8	महावीर प्रजापत	बीजवाड़	[signature]
9	शिवराज	बीजवाड़	शिवराज
10	भवरलाल	बीजवाड़	भवरलाल
11	महावीर	बीजवाड़	
12	शंकरलाल रेगर	बीजवाड़	शंकरलाल
13	अजय सैन	बीजवाड़	अजय सै.
14	महावीर मीणा	बिजवाड़	महावीर
15	सोजी राम	बिजवाड़	सोजीराम
16	रामकरण	बीजवाड़	रामकरण
17	मदन लाल	[illegible] जयपुर	मदनलाल
18	Dilip Kumar Meena	JEE, RSPCB, Bundi	Dilip
19	Sanjay Verma (Environmental Consultant)	Universal Enviroteech, Jaipur	[signature]
20	Manish Sharma	Jaipur	Manish
21.			

शासक रामरतन।

आने वाले लोगों की
त का निस्तारण तत्काल
जाए। इस दौरान प्रशासनक
या ने नगर परिषद आए लोगों
रियाद भी सुनी। अधिकारी-
रियों को समस्या का
न तत्काल करने के निर्देश
ाथ ही शहर में रोड लाइट
फाई मामले में लापरवाही
रतने को कहा। उन्होंने कहा
हर में सरकारी भूमि पर
मण की शिकायत मिल रही
पर कार्रवाई की जाए।

मुख्य अतिथि विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी एवं विशिष्ट अतिथि लोकेश शर्मा, बुद्धि प्रकाश शर्मा रहे।

भगवान परशुराम एवं वेद माता गायत्री की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवाडी ने बताया कि हमें ब्राह्मण एकता में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मिलकर लडना होगा। कार्यक्रम की प्रस्तावना बताते हुए आदर्श किशोर शर्मा ने कहा कि टोंक में परशुराम भवन बनना चाहिए। सोहन शर्मा ने ब्राह्मण कर्मचारियों लिए भी कहा।

विशिष्ट अतिथि बुद्धि प्रकाश शर्मा ने कहा कि हमें आदान-प्रदान की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। लोकेश शर्मा ने कहा कि हमें आत्म मंथन की आवश्यकता है। हमें अपने गौरवमय इतिहास को याद करके उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। अंत में सभी समागत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन अनिल कुमार चतुर्वेदी ने किया एवं विश्व कल्याण की कामना के साथ उक्त कार्यक्रम का समापन हुआ।

दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस समाज के कई लोग मौजूद थे।

पश्चिम रेलवे

सूचना संख्या डब्ल्यू/722/2
) दिनांक : 17.01.2025
निविदा संख्या : ZRTI-UD-
र्य का नाम : क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण
यपुर में i-GOT मिशन कर्मयोगी
लिए डिजिटलीकृत रेलवे शिक्षण
निर्माण। अनुमानित लागत :रू.
50 धरोहर राशि : रू.
- निविदा प्रपत्र जमा करने की
रीख एवं समय : 10.02.2025 को
तक निविदा प्रपत्र खुलने की
समय : 10.02.2025 को 15:30
का पता : प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल
थान, सुखाड़िया सर्कल के पास,
जस्थान 313001 वेबसाइट का
ireps.gov.in

79-DR/25

WRailways NWRailways_पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबन्धक/सं. एवं दू.उ.प.रे. जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी और से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा का ऑनलाइन ई–टेंडर आमंत्रित किया जाता है। **ई–टेंडर नोटिस नंबर एसएनटी–जेपी–19–2024–25 दिनांक :–20.01.2025 1. कार्य का नाम व लोकेशन** : जयपुर मंडल पर टीटीआर (सीएस + टीडब्ल्यूएस + सीएमएससी –150 सेट) के संबंध में सिगलिंग कार्य। **2. अनुमानित लागत** : रू. 1,50,17,382.56/– **3.बिड सिक्यूरिटी** : रू. 2,25,100.00/– **4. वेबसाइट पर टेंडर भरने की अंतिम तिथि एवं समय** : 13.02.2025 समय 15.00 बजे तक। **5. वेबसाईट का विवरण और नोटिस बोर्ड की लोकेशन** : **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड लोकेशन मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, पावर हाउस रोड, जयपुर।

81-DR/25

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

पश्चिम रेलवे-वडोदरा मंडल

इंजीनियरिंग विभाग

ई-निविदा सूचना संख्या: DRM-BRC 116 of 2024-25; भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (WA/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा - 390 004 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: **क्र.सं. (1) निविदा सं. एवं कार्य का नाम: DRM BRC 116 of 2024-25.** B-CTD सेक्शन के बीच पाइल फाउंडेशन का सोर्सिंग, मरम्मत के सामने ब्रिज सं. 130 की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹23,80,68,776.15/- **बोली सुरक्षा जमा कराना:** ₹ 13,40,300.00/- **निविदा जमा करने और निविदा खोलने की तिथि और समय:** निविदाएं दि. **10.02.2025** को **15.00 बजे** से पहले जमा कराना है और उसी दिन **15.30 बजे** खोली जाएगी। **वेबसाइट विवरण और सूचना बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का पूर्ण विवरण देख सकते हैं:** वेबसाइट @ **www.ireps.gov.in** मंडल रेल प्रबंधक (WA/C) पश्चिमरेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा - 390 004.

W/623/NIT of 2024-25 dated 16.01.2025 275

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

Regional Office

Rajasthan State Pollution control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No- RPCB/RO Bundi/PUB-124/1961 **Date: 08/01/25**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:– मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र– 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना है जिसका (रेफरेन्स संख्या– 20221000071711), खनन क्षेत्र 1.2152 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 132000 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है।उक्तपरियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है: –

I. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।
iX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
Xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधरण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान– पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुक्षाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा
फोन नं.0744-2500539, वेबसाईट:Lsg.rajasthan.gov.in/uitkota

नीलामी/2025/2033 दिनांक:30.12.2024

ई-आक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर

करण द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से पं. मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस योजना में खेड़ा जगपुरा में चार्जिंग स्टेशन/ पेट्रोल पम्प हेतु को नीलाम किया जा रहा है। जो कि एन.एच.12 पर स्थित है तथा प्राधिकरण की नव विकसित फार्म हाउस योजना, आर.टी.ओ. ऑफिस, थान व औद्योगिक क्षेत्र एवं आवासीय योजनाओं के समीप स्थित है। ई-ऑक्शन का आरम्भ दिनांक 21.01.2025 प्रातः 11.00 बजे से तथा दिनांक 23.01.2025 को दोपहर 02.00 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) र्तें एवं अन्य जानकारी Lsg.rajasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में न्यास में होकर प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष नं. 0744-2500539/ (**Helpline For Online Support-01412560211** पर सम्पर्क करें।

पं. मदनमोहन मालवीय फॉर्म हाउस योजना खेड़ा जगपुरा में चार्जिंग स्टेशन/ पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड

क्षेत्रफलः–1600 वर्गमीटर
प्रारम्भिक नीलामी दरः30000/– प्र.व.मी.
आरक्षित दरः3500/– प्र.व.मी.
धरोहर राशिः960000/–

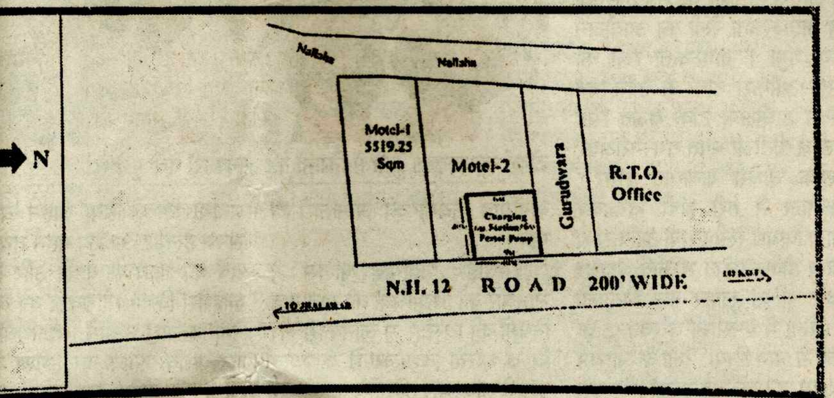

सचिव

Regional Office

Rajasthan State Pollution control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No- RPCB/RO Bundi/PUB-123/1982 **Date: 08/01/25**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:– मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र– 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना है जिसका (रेफरेन्स संख्या– 20221000071719), खनन क्षेत्र 1.0742 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 117562-50 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नाथुलाल सेवकर्मानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है।उक्तपरियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है: –

I. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।
iX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
Xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधरण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान– पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुक्षाव प्रस्तुत कर सकते है।
साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

न दे चुके हैं। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार
सन मिला, लेकिन अभी तक पक्का रोड बना नहीं। इससे
होकर आज कई ग्रामीण ग्राम पंचायत मंडावर पहुंचे और

ी करते हुए रोड बनाने की मांग को लेकर सुबह साढ़े दस बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए।
और प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाया, लेकिन लोग समझे नहीं। लोगों ने कहा कि शाम
के रोड की स्वीकृति जारी नहीं हुई तो टंकी से कूद कर आत्महत्या भी कर सकते हैं।

र्दू विद्यालय को हिंदी विद्यालय में मर्ज करने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी

ह क्षेत्र स्थित अंदरकोट
ी माध्यम विद्यालय में
हुए सरकार व प्रशासन
ांग्रेस कमेटी के सदस्य
प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह
कलेक्टर लोक बंधु को
यम विद्यालयों यथावत

दिए ज्ञापन में बताया
अंदरकोट क्षेत्र जोकि
र्ष 1941 से संचालित
र्दू माध्यम व बालिका
विद्यालय अंदरकोट उर्दू
में अल्पभाषायी उर्दू
बताया कि 17 जनवरी
आदेश जारी कर उर्दू
ाध्यम राजकीय उच्च
त कर दिया है, जो
वकों व क्षेत्रवासियों में

गहरा रोष है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि उर्दू माध्यम अल्पभाषायी विद्यालयों का अस्तित्व कायम रखते हुए इनको समायोजित करने की कार्यवाही को निरस्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, एएम अकबर, डॉ सोहेल अहमद, एडवोकेट मोहम्मद रईस खान, दानिश चिश्ती, फिरोजूल हसन चिश्ती, राजा चिश्ती, शफक्तउल्ला, मुजाहिद चिश्ती, हातिम अली, अकरम सिद्दीकी, साहिल हुसैन, अहमद हुसैन, तौफीक मोहम्मद, सुनील गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय निवासी मौजूद रहे।

रियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

ंदोलन की दी चेतावनी

घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 (एल-
या जाए। गिरदावरी ऐप में आवश्यक
करवाया जाए ताकि यह कार्य पटवारियों
किया जा सके। पटवार संघ सर्वेयर
का विरोध करता है। 1035 पटवार
ी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।
मेटी में लंबित पटवार मंडल और भू

अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति जल्द दी जाए। लंबित और समीक्षा डीपीसी का आयोजन किया जाए। पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक और भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाए। 752 नव सृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों की स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। पटवारियों को उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए।

बजट 2024-25 में स्वीकृत उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद के पदोन्नति कोटे को बढ़ाया जाए। तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण किया जाए। वरिष्ठता सूची में अनियमितता को समाप्त कर नई सुसंगत सूची जारी की जाए। हार्ड ड्यूटी भत्ते को 2250 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए और स्टेशनरी भत्ते को 400 से बढ़ाकर एक हजार रुपए किया जाए।

rspcb

Regional Office

Rajasthan State Pollution control Board

LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No- RPCB/RO Bundi/PUB-124/1961 Date: 08/01/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः– मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नायुलाल सेवकर्मानी, खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र– 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नायुलाल सेवकर्मानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना है जिसका (रेफरेन्स संख्या– 20221000071711), खनन क्षेत्र 1.2152 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 132000 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2901 एवं 3622/2882, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नायुलाल सेवकर्मानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

I. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।

iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।

iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।

IX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

Xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधरण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान– पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं.. बून्दी

rspcb

Regional Office

Rajasthan State Pollution control Board

LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No- RPCB/RO Bundi/PUB-123/1982 Date: 08/01/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः– मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नायुलाल सेवकर्मानी, खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र– 15.4249 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नायुलाल सेवकर्मानी द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट माइनिंग परियोजना है जिसका (रेफरेन्स संख्या– 20221000071719), खनन क्षेत्र 1.0742 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 117562-50 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 2892 एवं 2894, निकट ग्राम बिजवाड़, तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री सुनिल कुमार S/o श्री नायुलाल सेवकर्मानी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्तपरियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

I. जिला कलक्टर, टोंक। ii. CEO जिला परिषद, टोंक।

iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।

iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए–218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, देवली।

IX. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

Xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधरण को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/67 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तसमूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 27.02.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान– पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में आयोजित की जायेगी जिसमें उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जो सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं.. बून्दी